BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

NEW DELHI

O.A.NO. 638 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Anand Singh &Ors. Appellants

Versus

The State of Uttarakhand & Others. Respondents

Reply Affidavit On behalf of the respondent/UKPCB

I, Rajkumar Chaturvedi, Regional Officer(I/O),Regional Office Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, E-115,Nehru Colony, Dehradun, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am in the above noted capacity and as per records available in the department, I am fully conversant with the facts and circumstances of the case, hence competent to swear this counter affidavit on behalf of the answering Respondent.

2. That I have gone through and understood the contents of the Original Application. I deny each and every averment except those which are admitted herein expressly.

PARAWISE REPLY:

1. That the Field Inspection carried out by Regional Office, Dehradun. The copy of the inspection report dated 27.9.2022 is annexed herewith and marked as **Annexure -1**.

2. That the contents of the para No. 2 is matter of Record. It is submitted that the applicants vide letter dated 02-04-2016 addressing, the zonal officer Uttarakhand Pollution Control Board Uttarkashi, it is pertinent to mention that UKPCB does not have a separate regional office at- Uttarkashi, Regional Office, Dehradun deals with all the cases of Uttarkashi District along with

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Mrs. Sunita Rani Advocate Distt. Court, Dehradun Reg. No. 23(01)2018 Exp. Date 24-07-2023

Dehradun, Tehri, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal Districts.

3 - 6. That the contents of the paras 3 to 6 are matter of record, hence need no reply on behalf of the answering respondent.

7. That the contents of the para 7 are admitted. It is further submitted that the Regional Office, vide letter dated 17.11.2022 directed to M/s MS Trading Company Saw Mill that in case of non compliance of rules, the Unit shall stop the production/ manufacturing operations until the unit obtained CCAfrom the Board; otherwise action shall be initiated against the Unit under section 33(Air of the Water Prevention and Control of pollution Act, 1974 and Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. A true copy of the rejectedletter no.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Mrs. Sunita Rani Advocate Distt. Court, Dehradun Reg. No. 23(01)2018 Exp. Date 24-07-2023

UkPCB/ROD/Con/Uk- 136/2022-23/3280-1587 dated 17-11-2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

8. That the contents of para No. 8 need no reply being the matter related to the Forest Division.

9. That the contents of para No. 9 need no reply being the matter related to the District Administrator.

10-12. That the contents of Nos. 10 to 12 need no reply being the related to Forest Department.

13. That the contents of para 13 need no reply on behalf of the answering respondent.

14-15. That the contents of paras 14 and 15 need no separate reply, the reply of the para No.7 may be reiterated.

NOTARY
Mrs. Sunita Rani
Advocate
Distt. Court, Dehradun
Reg. No. 13101/2018
Exp.Date 24-07-2023
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

16. That the contents of para 16 is matter of concern that the nose level is found higher than the prescribed norms as monitored by officials of UKPCB on dated 27-09-2022. The matter was forwarded to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Badahat, Uttarkashi for taking cognizance in accordance with the notification issued by G.O. on dated 09-06-21, this letter was sent on 30-09-2022. A true copy of office order dated 30.9.2022 issued by the Regional Officer (Dehradun) is annexed herewith and marked as **Annexure -3**.

In this context this is to inform that various authorities are notified for taking action on violation of Noise Rules. As the unit is located in Nagar Palika Parishad area and in such area, Nagar Palika Parishad, Executive Officer, Government Order is authorized to take action as per law. A true copy of Notification dated 09-06-

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Mrs. Sunita Rani Advocate Distt. Court. Dehradun Reg. No. 23(01)2018 Exp.Date 24-07-2023

2021 issued by the State of Uttarakhand is annexed in **Annexure- 4**.

17. That the contents of para 17 are matter of record that air pollution cause health impact however, applicant has not submitted any proof of such diseases in the residents of nearby area.

18. That the contents of the para 18 need no separate reply, the reply of the para 17 may be reiterated.

19. That the contents of the para 19 need no reply on behalf of the answering respondent.

Besides above narration following are to be incorporated:

20. The Regional Officer, Dehradun issued notice dated 17.10.2022 to Saw mill operator. A true copy of the notice dated 17.10.2022 **Annexure-5**.

NOTARY (INDIA) GOVT. OF UTTARAKHAND Mrs. Sunita Rani Advocate Distt. Court, Dehradun Reg. No.23(01)2018 Exp.Date 24-07-2023

21. The Regional Officer (Dehradun) wrote a letter dated 17.10.2022 to DFO, Uttarkashi with recommendation if the unit is operating probably without permission of Forest Department, than action may be taken against the said unit. A true copy of the Office order dated 17.10.2022 is annexed herewith as **Annexure-6**.

22. That in view of the detailed averments made in the forgoing paragraphs, this Hon'ble Tribunal may pass any order as this Hon'ble Tribunal may deem fit in the facts and circumstances of the case.

NOTARY
Mrs. Smita Rani
Advocate
Distt. Court, Dehradun
Reg. No.23(01)2018
Exp.Date 24-07-2023
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Deponent

VERIFICATION:

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above affidavit are

true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified at 21-11.22 on this day of November, 2022

Deponent

NOTARY
Mrs. Sunita Rani
Advocate
Distt. Court, Dehradun
Reg. No. 23/01/2018
Exp. Date 24-07-2023
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

R. NO. 3484/22

This affidavit is solemnly affirmed sworn, signed and verified the contents by Mr./Mrs. Raj Kumar Chaturvedi who is identified by Mr. D. N. Tripathi (Adv) at Place Dehra Dun 21/11/2022

Mrs. Sunita Rani
Advocate & NOTARY
Distt. Court, Dehradun
(Uttarakhand) INDIA
No. 23/01/201

Annexure-1

मै0 मटूरा सॉ मिल, ग्यानसू, उत्तरकाशी के शिकायती प्रकरण पर निरीक्षण आख्या

दिनांक 06.07.2022 को सूचना का अधिकार में प्राप्त आवेदन से संज्ञान पर आने पर दिनांक 27.09.2022 में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है–

1. शिकायत स्थल पर आरा मशीन एवं वॉयर कटिंग का कार्य किया जा रहा है।
2. उद्योग स्वामी का नाम श्री दीपक मटूड़ा पता ज्ञानसू, उत्तकाशी।
3. उद्योग द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।
4. उद्योग हरित श्रेणी में आच्छादित है, जिसकी स्थापना एवं संचालन हेतु जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।
5. उद्योग में औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसका निस्तारण सीवर लाइन के माध्यम से किया जाता है।।
6. उद्योग में डी0जी0 सैट स्थापित नहीं है।
7. आरा मशीन का विद्युत भार 06 किलोवाट है।
8. आरा मशीन के टिन शेड को अन्दर कवर किया गया है।
9. प्रश्नगत् स्थल मुख्य सड़क पर होटल शिव पैलेस एवं गर्ल्स होस्टल के भवन के पीछे स्थित है।
10. स्थल के भू–उपयोग के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि उपरोक्त स्थल व्यवसायिक है।
11. शिकायत स्थल पर ध्वनि की व्रीवता का मापन किया गया, जो कि व्यवसायिक क्षेत्र में मानकों से अधिक है। **(रिपोर्ट संलग्न)**

उपरोक्तानुसार उद्योग बिना जल/वायु सहमति प्राप्त किये संचालित है तथा ध्वनि की व्रीवता भी मानकों से अधिक है। अतः जल/वायु अधिनियम एवं उत्तराखण्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) 2000 यथा संशोधित जिसके अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रेषित है।

(दीपेन्द्र भट्ट)
अनुश्रवण सहायक

(एस0के0 डिमरी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

UTTARAKHAND UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

NOISE LEVEL MONITORING REPORT

1-Name of Location	-	M/s Matura Saw Mill
2-Address	-	Gyansu Uttarkashi
3-Date of Monitoring & time	-	27.09.2022, Between 4.00 to 5.00 PM
4-Monitored by	-	Shri S K Dimri (ASO) Shri Deependra Bhatt (MA)

Sr.No.	Monitoring Point	All Values are in Leq dB		
		L(min)	L(max)	Observed Leq Values (Day time)
A.	**When Saw Mill Not In Operation:**			
	1.In saw mill premises	47.9	61.9	55.1
	2.Adjusent of Saw Mill in premises of Hotel Sahaj Villa, UCO BANK	53.0	60.0	55.8
B.	3.Behind Govt. Women Hostel/ Hotel shiv palace	49.7	60.9	54.1
	When Saw Mill in Operation:			
	1.In saw mill premises	74.3	86.3	80.7
	2.Adjusent of Saw Mill in premises of Hotel Sahaj Villa	72.0	79.1	74.4
	3.Behind Govt. Women Hostel/Hotel shiv palace	55.4	67.1	61.5

Standard

Sr.No.	Category of Area/Zone	Noise Level dB (A)	
		Day Time	Night Time
1.	Industrial	75	65
2.	Commercial	65	55
3.	Residential	55	45
4.	Silence	50	40

Monitoring Assistant   Scientific Assistant   Assistant Scientific Officer   Regional officer (I/c)

Annexure-2

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

UTTARAKHAND
UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

Ref: UKPCB/ROD/ Con/UK-136 /2022-23/3280-1587

Date: 17/11/2022
REGD. POST
Application No. 3191133

To,

M/s MS Trading Company Saw Mill
Hotel Sahaj Villa in Gyansu
Uttarkashi.

Sub: Application for Consolidated Consent and Authorization (CCA) under Section-25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended thereafter and authorization under Section-6(2) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 - reg.

Please refer to your application for **Consolidated Consent and Authorization (CCA)** dated **08.11.2022** under above said **Acts /Rules** and inspection of the Unit carried out by this Office on dated **27.09.2022** and during inspection the short comings found which are mentioned below.

1. **Unit is located in residential/commercial area.**
2. **Unit has not obtained CTE.**
3. **Complaint case filed against at Hon'ble NGT(OA No. 638/2022)**
4. **Noise limit not complying with prescribed standards.**

In above circumstances and in public interest, **Consent and Authorization (CCA)** to **M/s MS Trading Company Saw Mill** located at **Hotel Sahaj Villa in Gyansu, Uttarkashi** cannot be granted for discharge of domestic/trade effluent; air emission and handling of hazardous wastes. Therefore, your CCA application under the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** and the **Hazardous and Other Waste (Management, Disposal and Transboundary) Rules, 2016** is hereby refused.

In case of non-compliance of above, the Unit shall stop the production/manufacturing operations until the Unit obtain CCA under the **Section-25** of the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Section-21** of the **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** and **Section-6(2)** of the **Hazardous and Other Waste (Management, Disposal and Transboundary) Rules, 2016** from the **Board;** otherwise action shall be initiated against the Unit under **Sectoin-33(A)** of the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** and **Section-31(A)** of the **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.**

Regional Officer (I/c)

Copy to: **Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Gaura Devi Paryavaran Bhavan, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehradun** for kind information please.

Regional Officer (I/c)

M-271

Annexure-3

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

UTTARAKHAND
UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी / आरओडी / NGT-64 /2022–23 / 2772-1352 दिनांकः 30/9/22

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 3785
Date 01/10/22

विषय– **मै0 मदुरा सॉ मिल, ग्यानसू उत्तरकाशी पर जल–वायु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री आनन्द सिंह पवांर पुत्र स्व0 अतर सिंह पंवार, ग्यानसू के सूचना के अधिकार में आवेदन से सज्ञांन में आया कि मै0 मटुरा सॉ मिल ग्यानसू में संचालित है का निरीक्षण दिनांक 27.09.2022 में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया। (आख्या संलग्न), निरीक्षण आख्यानुसार ग्यानसू में आरा मशीन संचालित है तथा वायर नेटिंग का कार्य भी किया जा रहा है। उद्योग द्वारा जल–वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जल / वायु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उद्योग हरित श्रेणी में वर्णित है। निरीक्षण के समय उद्योग का ध्वनि अनुश्रवण भी किया गया, जो कि मानकों से अधिक है।

अवगत कराना है कि उद्योग के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–638 / 2022 द्वारा वाद दाखिल किया गया है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश पारित है।

तत्क्रम में निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग को जल / वायु अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक–यथापरि।</u>

EE PKJ 1/10/22

AE (Amit) 1/10/22

UDC (RS) 4/10/22

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त स्थल पर ध्वनि की तीव्रता मानकों से अधिक है। उत्तराखण्ड ध्वनि नियमों के अन्तर्गत आप कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Annexure-4

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 55 /XXXVIII-I-21-08(15)2020
देहरादून: दिनांक 09 जून, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000 (समय–समय पर यथासंशोधित) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (2) के क्रम में ध्वनि हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्र/ज़ोन को शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करते हैं :–

1. शांत क्षेत्र/ज़ोन: सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित है –

(i) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, जिला अस्पतालों, मैडिकल कॉलेजों व 50 व इससे अधिक बिस्तर के हेल्थ केयर फैसिलिटिस के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;

(ii) शैक्षिक संस्थान के परिसर के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;

(iii) संरक्षित वन क्षेत्र व सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई अन्य वन क्षेत्र, एवं

(iv) सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वाले धरोहर/पुरातत्व स्थल।

2. आवासीय क्षेत्र/ज़ोन: सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –

(i) किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा किसी ज़ोनल प्लान/मास्टर प्लान के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किसी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र एवं कोई आवासीय कॉलोनी, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी,

(ii) ज़ोनल क्षेत्र/मास्टर प्लान या किसी भी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र व अन्य ग्रामीण क्षेत्र, खण्ड 1(iv) के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर;

(iii) खण्ड 1, खण्ड 3 एवं खण्ड 4 के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोडकर सभी क्षेत्र।

3. **वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोनः सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –**

स्थानीय विकास प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

4. **औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –**

(i) राज्य सरकार के उद्योग विभाग, जिला प्राधिकरणों, सिडकुल (SIDCUL) अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां भूमि के उपयोग को बदल कर राज्य में विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना हेतु औद्योगिक के रूप में परिवर्तित किया गया हो।

उपरोक्त सभी क्षेत्रों को शांत क्षेत्र/ज़ोन, आवासीय क्षेत्र/ज़ोन, वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोन और औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन के रूप में एतद्‌द्वारा घोषित किया जाता है।

5. **स्पष्टीकरणः** क्षेत्र/जोन के वर्गीकरण को अग्रेत्तर निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जाता है:

(i) किसी मिश्रित उपयोग के भौगोलिक क्षेत्र को आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक के रूप से प्रयोग किया जाने के मामले में, जिलाधिकारी को उक्त क्षेत्र को स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों/स्थानीय पंचायतों के परामर्श से आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक में वर्गीकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, जिलाधिकारी द्वारा खण्ड 5 (i) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील कर सकेगा। क्षेत्र/ज़ोन के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन हेतु ध्वनि के मानक खनन क्षेत्र/स्टोन क्रशर के संचालन हेतु भी सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त लागू होंगे।

<u>अपवाद</u>: ऐसी किसी भी प्रक्रिया के संचालन में, जो सरकार के हित में अथवा किसी सार्वजनिक आपातकाल अथवा किसी व्यक्ति, जीव की प्राणरक्षा अथवा चुनावी प्रक्रिया अथवा राष्ट्रीय/राज्य उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/जोनों हेतु निर्धारित ध्वनि का स्तर इस दशा में मान्य नहीं होगा।

6. **परिवेशीय वायु गुणवत्ता के संदर्भ में ध्वनि के मानक –**

उक्त वर्गीकृत क्षेत्रों में ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक उक्त नियम की अनुसूची में दिए अनुसार होंगे, जो कि निम्नलिखित हैं :–

क्षेत्र / ज़ोन	ध्वनि सीमा (डेसिबल–ए)एल0ई0क्यू0	
	दिन के समय (प्रातः 6:00 बजे से रात्रिः 10:00 बजे तक)	रात्रि के समय (रात्रिः 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक)
शांत क्षेत्र / ज़ोन	50	40
आवासीय क्षेत्र / ज़ोन	55	45
वाणिज्यिक क्षेत्र / ज़ोन	65	55
औद्योगिक क्षेत्र / ज़ोन	75	70

7. **हॉर्न व लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबन्ध –**

1. सम्पूर्ण राज्य में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होगा।
2. लाउडस्पीकर के साथ ध्वनि सीमक के निर्धारण हेतु गाइडलाईन / मानकः–

   (क) सम्बन्धित प्राधिकारी किसी भी लाउडस्पीकर को खुले में संचालन हेतु सहमति प्रदान करते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक द्वारा लाउडस्पीकर / ध्वनि जनित करने वाले उपकरण में ध्वनि सीमक स्थापित करे, जिससे कि ध्वनि सीमा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही रहे।

   (ख) खुले स्थान में लाउडस्पीकर का प्रयोग ध्वनि सीमक के बिना नहीं किया जायेगा।
3. शांत क्षेत्र व आवासीय क्षेत्र में किसी भी खुले स्थान कार्यक्रम में किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा जैसे– (स्कूल व कॉलेज की परीक्षा, राज्य स्तर द्वारा आयोजित मैडिकल / प्री–मैडिकल परीक्षा व ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसका आयोजन उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग / संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर कराया जा रहा हो), जहाँ बडी संख्या में परीक्षार्थी सम्मिलित हों, के तीन दिन पूर्व से ऐसी परीक्षा के समाप्त होने तक लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

8. **उक्त नियम को अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु नामित प्राधिकारी –**

उक्त नियम के नियम 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत, प्राधिकारी के रूप में ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुपालन कराने हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है :–

क्र0सं0	प्राधिकारी	क्षेत्रान्तर्गत
1.	कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो तहसीलदार के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र
2.	कोई पुलिस अधिकारी जो सब–इंस्पेक्टर के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र
3.	सभी वनाधिकारी जो वन रेंजर अधिकारी के पद से न्यून न हों।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी पी0ए0 तथा वन क्षेत्र
4.	शहरी स्थानीय निकाय के सहायक नगर आयुक्त/ कार्यकारी अधिकारी/ स्वास्थ्य अधिकारी	शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र
5.	सभी अधिकारी (तकनीकी व वैज्ञानिक) जो सहायक अभियन्ता/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित औद्योगिक क्षेत्र/जोन

9. <u>प्राधिकारी की भूमिका व उत्तरदायित्व :–</u>

उक्त नियम के नियम 4 व 5 के क्रम में प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप रखने हेतु, उक्त नियम के विभिन्न नियमों में प्रदत्त समस्त शक्तियों के साथ–साथ, निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जायेगाः–

(i) उक्त नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सहमति प्रदान करना।

(ii) प्राप्त शिकायतों के क्रम में उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध उक्त नियम 7 के उप नियम (2) के अन्तर्गत कार्रवाई करना, जिसमें शोर जनित करने वाले यंत्र को जब्त करना व इस अधिसूचना के खण्ड 10 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना अधिरोपित करना।

10. <u>पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना –</u>

उक्त नियम के नियम 6 के अन्तर्गत उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकारी को अधिकृत किया जाता हैः–

श्रेणी	प्रथम उल्लंघन	द्वितीय उल्लंघन	तृतीय या अधिक उल्लंघन
व्यक्तिगत	1000 / –	2500 / –	5000 / –
धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सवों के संचालक इत्यादि।	5000 / –	10,000 / –	15,000 / –
होटल, भोजनालयों, पब, बैनक्वैट हॉलस इत्यादि	10,000 / –	15,000 / –	20,000 / –
औद्योगिक इकाईयां, खनन कार्य इत्यादि।	20,000 / –	30,0000 / –	40,000 / –

11. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का उपयोग –** पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि, जो कि प्राधिकारियों द्वारा वसूली जायेगी, को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास एक पृथक खाते में रखा जायेगा तथा इसका उपयोग वायु प्रदूषण के अनुश्रवण एवं रोकथाम हेतु किया जायेगा।

12. **अपीलः** प्राधिकारियों, जैसा कि उक्त नियम में अभिहित किया गया है, के द्वारा की गयी कार्यवाही के विरूद्ध एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।

9/6/21

(नेहा वर्मा)
अपर सचिव।

<u>संख्या– 55 (1)/XXXVIII-I-21-08(15)2020, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष / सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
3. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. विधिक सलाहकार / सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष / सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

8. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11.निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12.एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव।
13.निदेशक, प्रिटिंग प्रेस सरकार, रूड़की, को उत्तराखण्ड हेतु राजपत्रित अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु।
14.सरकारी पोर्टल / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतेन्द्र बर्मन)
अनु सचिव।

Annexure-5

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

UTTARAKHAND
UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–64 /2022–23/2981–1440 दिनांकः 17/10/2022

पंजीकृत डाक द्वारा।

सेवा में,

श्री दीपक मटुरा पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह
मै0 मटुरा सॉ मिल
वार्ड नं–3, ग्यानसूं
जिला उत्तरकाशी।

विषय– **बिना अनुमति के ऑरा मशीन संचालन एवं वॉयर नेटिंग के कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग का स्थल निरीक्षण दिनांक 27.09.2022 को इस कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय आपके द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमतियां निरीक्षण दल को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आरा मशीन के संचालन एवं वायर नेटिंग के कार्य हेतु निम्न विभागों की स्वीकृतियां 07 दिनों के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।

1. वन विभाग से प्राप्त स्वीकृति।
2. जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त पंजीकरण/स्वीकृति।
3. अग्निशमन से प्राप्त अनापत्ति।
4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

अवगत होंवे कि सम्बन्धित विभागों से बिना स्वीकृति प्राप्त किये उद्योग का संचालन अवैधानिक है। अतः राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य विभागों से स्वीकृति प्राप्त होने तक उद्योग का संचालन न करें।

भवदीय

(डा0आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महोदय, यूकेपीसीबी, गौरा देवी पर्यावरण भवन, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Annexure-6

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी / आरओडी / NGT-64 /2022–23 / 2982–1441 दिनांकः 17/10/2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी।

विषय– मटूरा सॉ मिल, वार्ड न0 3, ज्ञानसू, उत्तरकाशी के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.09.2022 को दिया गया, निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा वन विभाग से आरा मशीन के संचालन के सबंध में प्राप्त स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी जिससे प्रतीत होता है कि संभवतया उद्योग वन विभाग से बिना स्वीकृति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग के सबंध में मा0 हरित अधिकरण में वाद योजित है (मूल आवेदन संख्या 638 / 2022) अतः प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करना चाहे।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–
1.जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2.सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)